रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 18, 1972/पौष 28, 1893
No. 13] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 1972/PAUSA 28, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 18th January, 1972

SUBJECT.—*Import Policy for the year April 1971 — March 1972.*

No. 6-ITC (PN)/72.—Attention of the importers is invited to the import policy as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April, 1971—March, 1972.

2. As a result of the representations received, the import policy in respect of certain items has been reviewed and it has been decided to make the following amendments in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol I) for the period April 1971—March 1972:—

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Reference	Details of amendments
41	Section II, S. No. 46(b) I.	The import of this item will be allowed to actual users upto 20% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.

Page No. of the Red Book (Vol.I)	Reference	Details of amendments
61	Section II, S. No. 38-A(f)/ II, Column 4, Remark (1).	The following new item may be deemed to have been inserted as S. No. (viii):— "(viii) 2.2 Volt lamps with built in lens for pin point focus."
68	Section II, S. No. 1(d) (v)/ III, Column 4.	The existing remark may be deemed to have been substituted by the following remarks:— "(1) A.U. for manufacture of dental products. (2) A.U. on restricted basis for latex industry."
77	Section II, S. No. 122 IV, Column 4, Remark (3).	This remark may be deemed to have been deleted.
82	Section II, S. No. 248(b)/ IV, Column 4.	The following new remark may be deemed to have been inserted:— "(2) A.U. for import of glass roddirg for manufacture of tuberculin and micro medical syringes."
83	Section II, S. No. 248(c)/ IV, Column 4, Remark (2).	The following new items may be deemed to have been inserted as S. Nos. (v) and (vi):— "(v) Ceramic transfer scales for manufacture of clinical thermometers." (The import of this item will be allowed upto 2-1/2% of the face value of the licence). (vi) Milk glass sheets for manufacture of clinical thermometers. (The import of this item will be allowed upto 2-1/2% of the face value of the licence)."
87	Section II, S. No. 9/V, Column 4.	The existing remark may be substituted by the following remark:— "A.U. for import of cod oil for manufacture of industrial leather in consultation with DGTD."
113	Section II, S. No. 101-C/V, Column 4.	The following new remark (2) may be deemed to have been inserted:— "(2) Import of cellulose acetate off-cuts and cuttings will not be permitted."
119	Section II, S. No. 122(ii)/ V, Column 4.	The following entry may be deemed to have been inserted as S. No. (V) :— "(v) For manufacture of welding electrodes."
127	Section III, Part 'A' S. No. 22, 31/V, Column 2.	The item "Octanol/Iso-Octanol 2-Ethylhexanol" may be read as under:— "Octanol/Iso-Octanol/2-Ethylhexanol and their substitutes such as Alphenol/Alfol/Aliphetic alcohols having 6, 7, 8 or 9 atoms or mixtures thereof."

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Reference	Details of amendments
136	Section IV, S. No. 45(b) II, Column 4, remark (1).	The following entries appearing in remark (1) may be deemed to have been deleted:— "*Low Intensity Carbons:* With the following diameters and in all lengths:— *Negative* — *Positive* 7 mm — 10 mm 8 mm — 12 mm"
272	Section V, Appendix 19, List II.	The following items may be deemed to have been inserted at the appropriate places: "1. Chlortetracycline. 2. Calcium Lactate I.P."
275	Section V, Appendix 19, List III, Item No. 7-Calcium Lactate.	This item may be deemed to have been deleted.
324	Section V, Appendix 24, List I.	The following items may be deemed to have been included:— "(i) Aceto Acet Ortho Toluidide. (ii) C. Acid (2-Chloro-5-Toluidine 4-Sulphonic Acid) (iii) Para Toluidine Meta Sulphonic Acid (PTMS)"
325	Section V, Appendix 24, List II.	The following item may be deemed to have been included:— "5. 3-Carboxy-1-(p-Sulphophenyl)-5 Pyrazolone."
326	Section V, Appendix 24, List III, item-C. Acid (2-Chloro-5-Toluidine 4-Sulphonic Acid and its Sodium and potassium salts).	The description of this item may be substituted by the following:— "Sodium and potassium salts of C. Acid (2-Chloro-5-Toluidine 4-Sulphonic Acid)."
326-327	Section V, Appendix 24, List III.	(1) The following items may be deemed to have been deleted:— (i) Aceto Acet ortho Toluidide. (ii) 3-Carboxy-1-(p-Sulphophenyl)-5-Pyrazolone. (iii) Para Toluidine Meta Sulphonic Acid (PTMS).

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Reference	Details of amendments
		(2) The import of the undermentioned items will be allowed to actual users to the extent indicated against them:—
		(1) o-Anisidine . Upto 15% of the face value of the licence.
		(2)p-Anisidine. . Upto 15% of the face value of the licence.
		(3) 4-Chloro-2-Nitroaniline. . Upto 5% of the face value of the licence.
		(4) o-Toluidine . Upto 15% of the face value of the licence.
		(5) p-Toluidine . Upto 15% of the face value of the licence.
		(6) Resorcinol. . Upto 5% of the face value of the licence or Rs 2,500 whichever is less.
341	Section V, Appendix 28, Para 4—List of canalised items.	The item Octanol/Iso-Octanol 2-Ethylhexerol may be read as under:— "Octanol/Iso-Octanol 2-Ethylhexerol and their substitutes such as Alphonesl/Alfol/Aliphetic alcohols having 6, 7, 8 or 9 atoms or mixtures thereof."
345	Section V, Appendix 28, List II, Item — Resorcinol.	The import of this item will be allowed upto 5 % of face value of the licence or Rs. 2,500/- whichever is less.
345	Section V, Appendix 28, List II, Item—Phenyl Acetic Acid.	The import of this item will be allowed to actual users upto 10 of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
345	Section V, Appendix 28, List II.	The following item may be deemed to have been inserted at the appropriate place:— "Thionyl Chloride." The import of this item will be allowed upto 10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
347	Section V, Appendix 28, List III, Item Borax/Boric Acid.	The following entry may be deemed to have been inserted against this item — "(Import of semi-conductor grade of boric acid will, however, be allowed to actual users for manufacture of semi-conductor devices used in electronics)."

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Reference	Detail of amendments
348	Section V, Appendix 28, List III.	The following item may be deemed to have been inserted at the appropriate place:— "Diethyl Carbamyl Chloride."
349	Section V, Appendix 28, List III, item Hydrochloric acid.	The description of this item may be deemed to have been substituted by the following:— "Hydrochloric acid excluding anhydrous hydrochloric acid (Electronic grade) required for manufacture of semi-conductor devices used in electronics.
361	Section V, Appendix 29, Item No. 8, Xylene.	The following remarks may be deemed to have been inserted against this item:— "(1) Import of this item for end-uses other than phthalic anhydride will be allowed on restricted basis. (Import will be allowed upto 5 % of the face value of the licence). (2) Import of this item for manufacture of phthalic anhydride will be allowed to actual users without any face value restriction."
361	Section V, Appendix 29, Item No. 14, Solvent Naptha (light and heavy).	The import of this item will be allowed upto 2-1/2% of the face value of the licence.
345	Section V, Appendix 28, List II, item-Solvent Naphtha (light and heavy)	The import of this item will be allowed to actual users upto 2-1/2% of the face value of the licence.

M. M. SEN,
Chief Controller of Import and Export.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1972

विषय.—अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 वर्ष के लिए आयात नीति।

संख्या 6—आई०टी०सी० (पी०ए०)/72.—आयातकों का ध्यान अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक खं० 1) में यथा निहित आयात नीति की ओर आकृष्ट किया जाता है।

2. प्राप्त किये गये प्रतिवेदनों के फलस्वरूप, कुछ मदों के सम्बन्ध में आयात नीति की पुनरीक्षा की गई है और अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक वा० 1) में निम्नलिखित संशोधन करने का निश्चय किया गया है :—

रेड बुक (वा० 1) की पृष्ठ सं०	संदर्भ	संशोधनों के ब्योरे
1	2	3
41	खंड 2, क्रम सं० 46(बी)/1	वास्तविक उपयोक्ताओं को इस मद का आयात करने की स्वीकृति लाइसेंस के अंकित मूल्य के 20 प्रतिशत तक या 5000 रु० तक चाहे जो भी इनमें कम हो, दी जायेगी।
61	खंड 2, क्रम सं० 38 ए(एफ)/2, कालम 4, टिप्पणी (1)	निम्नलिखित नई मदों को क्रम संख्या (8) के रूप में शामिल किया गया समझा जाये :— "(8) पिन पाएन्ट फोकस के लिए लेंस रूप में निर्मित के साथ 2.2. वाल्ट लैम्प।"
68	खंड 2, क्रम सं० 1(बी) (6)/3, कालम 4	वर्तमान टिप्पणी को निम्नलिखित टिप्पणियों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाये :— "(1) दन्त उत्पादों के निर्माण के लिए वास्तविक उपयोक्ता। (2) लेटेक्स उद्योग के लिए प्रतिबंधिता के आधार पर वास्तविक उपयोक्ता।"
77	खंड 2, क्रम सं० 122/4, कालम 4, टिप्पणी (3)	इस टिप्पणी को हटाया गया समझा जाये।
82	खंड 2, क्रम सं० 248(बी)/4, कालम 4	निम्नलिखित नई टिप्पणी को शामिल किया गया समझा जाये:— "(2) ट्यूबर क्यूलिन और माइक्रो मेडिकल सिरिंजों के निर्माण के लिए ग्लास रोडिंग के आयात के लिए वास्तविक उपयोक्ता।"

1	2	3
83	खंड 2, क्रम सं० 248(सी)/4, कालम 4, टिप्पणी (2)	निम्नलिखित नई मदों को क्रम संख्या (5) और (6) के रूप में शामिल किया गया समझा जाये :— "(5) क्लिनिकल थर्मामीटर के निर्माण के लिए सिटेनिक ट्रान्सफर स्केल ।" (इस मद के आयात की स्वीकृति लाइसेंस के अंकित मूल्य के $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक दी जायेगी) । (6) क्लिनिकल थर्मामीटर के निर्माण के लिए मिल्क ग्लास शीट्स । (इस मद के आयात की स्वीकृति लाइसेंस के अंकित मूल्य के $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक दी जायेगी) ।
87	खंड 2, क्रम सं० 9/5, कालम 4	वर्तमान टिप्पणी को निम्नलिखित टिप्पणी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाये :— "महा निदेशक, तकनीकी विकास के परामर्श के साथ औद्योगिक चमड़े के निर्माण के लिए कोड आयल के आयात के लिए वास्तविक उपयोक्ता ।"
113	खंड 2, क्रम सं० 101-सी/5, कालम 4	निम्नलिखित नई टिप्पणी (2) को शामिल किया गया समझा जाये :— "(2) सेलुलोज एसेटेट आफ-कट्स और कटिंग्स के आयात की अनुमति नहीं दी जायेगी ।"
119	खंड 2, क्र० सं० 122(2)/5, कालम 4	निम्नलिखित प्रविष्टि को क्रम सं०—(5) के रूप में शामिल किया गया समझा जाये :— "(5) वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स के निर्माण के लिए ।"
127	खंड 3, भाग ए, क्र०सं० 22,31/5, कालम 2	मद ओक्टानोल/आइसो, ओक्टानोल/2-एथिलहेक्सानोल को निम्न प्रकार से पढ़ा जाये :— "ओक्टानोल/आइसो ओक्टानोल/2-एथिलहेक्सानोल और उनके प्रतिस्थापक जैसे—ऐलफेनोल/ऐलफेल/ऐलिफेटिक अलकोहल जिनमें 6, 7, 8 या 9 एटम शामिल हैं या उनके मिश्रण हैं ।"

1	2	3
136	खंड 4, फ०सं० 46(बी)/2, कालम 4, टिप्पणी (1)	निम्नलिखित प्रविष्टि को टिप्पणी (1) में आयी हैं उसे हटाया गया समझा जाये :— "सभी लम्बाइयों में निम्नलिखित व्यासो के साथ निम्नघनत्व कार्बन :— ऋण धन 7 एमएम 10 एमएम 8 एमएम 12 एमएम"
272	खंड 5, परिशिष्ट 19, सूची 2	निम्नलिखित मदों को उचित स्थानों पर शामिल किया गया समझा जाये :— "1. क्लोरटेट्रासाइक्लीन 2. कैलिसयम लैक्टेट आई०पी०"
275	खंड 5, परिशिष्ट 19, सूची 3, मद सं० 7—कैलिसयम लेक्टेट	इस मद को हटाया गया समझा जाये ।
324	खंड 5, परिशिष्ट 24, सूची 1	निम्नलिखित मदों को शामिल किया गया समझा जाये :— "(1) एसेटोएसेट आर्थो टालुइडायड (2) सी०एसिड (2—क्लोरो—5—टालुइडायन—4—सल्फोनिक एसिड) । (3) पारा टालुइडालन मेटा सल्फोनिक एसिड (पी०टी०एल०एस०) ।
325	खंड 6, परिशिष्ट 24 सूची 2	निम्नलखित मद को शामिल किया गया समझा जाये :— "5. 3 —कार्बोक्सी—1—(8. सल्फोफिनाइथल) 5—पायराजोलोन ।"
326	खड 5, परिशिष्ट 24, सू ची 3, मद—सी एसिड (2—क्लोरो—5—टालुइडायन—4—सल्फोनिक एसिड तथा इसके सोडियम और पोटासियम साल्ट)	इस मद के विवरण को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये :— "सी० एसिड (2—क्लोरो—5—टालुइडाफ 4—सल्फोनिक एसिड) के सोडियम तथा पोटासियम साल्ट" ।

1	2	3
326 327	खंड 5, परिशिष्ट 24, सूची 3	(1) निम्नलिखित मदों को हटाया गया समझा जाये :— (1) एसेटो एसेट आर्थो टालुइडायन (2) 3—कार्बोक्सी—1—(पी० सल्फोफिनायल)—5—पायराज़ोलोन (3) पारा टालुइडायप मेट सल्फोनिक एसिड (पी०टी०एम०एस०) (2) वास्तविक उपयोक्ताओं को निम्नलिखित मदों को उनके सामने संकेतित मूल्य तक आयात करने की स्वीकृति दी जायेगी :— (1) ओ-एनिसिडायन — लाइसेंस के अंकित मूल्य के 15 प्रतिशत तक (2) पी-एनिसिडायन — लाइसेंस के अंकित मूल्य के 15 प्रतिशत तक (3) 4—क्लोरो—2—नाइट्रोनिलीन — लाइसेंस के अंकित मूल्य के 5 प्रतिशत तक (4) ओ-टालूडायन — लाइसेंस के अंकित मूल्य के 15 प्रतिशत तक (5) पी-टालूडायन — लाइसेंस के अंकित मूल्य के 15 प्रतिशत तक (6) रिसार्सीनोल — लाइसेंस के अंकित मूल्य के 5 प्रतिशत तक या 2500 रु० इनमें जो भी कम हो ।
341	खंड 5, परिशिष्ट 28, कंडिका 4, सरणीबद्ध मदों की सूची	मद "ओक्टानोल/आइसो—ओक्टानोल /2—ईथिलहेक्सानोल" को निम्नलिखित अनुसार पढ़ा जाये :— "आक्टानोल/आईसो—ओक्टानोल/2—ईथिसू क्सानोल और इनके प्रतिस्थापित जैसे एल्फीनोल/अल्फोल/एलिफिटिक अल्कोहल जो 6, 7, 8 अथवा 9 एटम्स अथवा इनके मिश्रण वाले हों ।"

1	2	3
345	खंड 5, परिशिष्ट 28, सूची 2, मद—रिसार्सीनोल	इस मद के आयात की स्वीकृति लाइसेंस के अंकित मूल्य के 5 प्रतिशत तक अथवा 2500 रु० तक इनमे जो भी कम हो दी जायेगी ।
345	खंड 5, परिशिष्ट 28, सूची 2, मद—फिनायल एसिटिक एसिड ।	इस मद के आयात की स्वीकृति लाइसेंस के अंकित मूल्य के 10 प्रतिशत तक अथवा 5000 रु० तक इनमे जो भी कम हो, दी जायेगी ।
345	खंड 5, परिशिष्ट 28, सूची 2, मद—साल्वेंट नेप्था (हल्का तथा भारी)	वास्तविक उपयोक्ताओं को इस पद के आयात की स्वीकृति लाइसस के अंकित मूल्य के $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक के लिए दी जायेगी ।
345	खंड 5, परिशिष्ट 28, सूची 2:	निम्नलिखित मद को उपयुक्त स्थान पर जोडा गया समझा जाये :— "थिओनील क्लोराइड" इस मद के आयात की स्वीकृति लाइसेंस के अंकित मूल्य के 10 प्रतिशत तक अथवा 5000 रु० तक इनमे जो भी कम हो, दी जायेगी ।
347	खंड 5, परिशिष्ट 28, सूची 3, मद बोरक्स/बोरिक एसिड	निम्नलिखित प्रविष्टि को इस मद के सामने जोडा गया समझा जाये :— "(लेकिन इलैक्ट्रोनिक्स मे उपयोग किये जाने वाले अर्धचालक यन्त्रो के निर्माण के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं को बोरिक एसिड की अर्धचालक श्रेणी के आयात की अनुमति दी जायेगी)
348	खंड 5, परिशिष्ट 28, सूची 3	निम्नलिखित मद को संगत स्थान पर निविष्ट किया गया समझा जाये :— "डिएथिल कारबमिल क्लोराइड ।
349	खंड 5, परिशिष्ट 28, सूची 3, मद—हाइड्रोक्लोरिक एसिड	इस मद के विवरण को निम्नलिखित विवरण द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाये :— "इलैक्ट्रानिक्स मे उपयोग किये जाने वाले अर्ध-चालक यंत्रो के निर्माण के लिए अपेक्षित निजलीय हाईड्रोक्लोरिक एसिड (इलैक्ट्रानिक श्रेणी) को छोडकर हाईड्रोक्लोरिक एसिड" ।

1	2	3
361	खंड 5, परिशिष्ट 29, मद सं० 8—जाइलीन	इस मद के सामने निम्नलिखित टिप्पणियां निविष्ट की गई समझी जायें :— "(1) पथेलिक एन्हाईड्राइड से भिन्न अंतिम उपयोगों के लिए इस मद के आयात की अनुमति प्रतिबंधिता के आधार पर दी जायेगी (लाइसेंस के अंकित मूल्य के 5 प्रतिशत तक आयात की अनुमति दी जायेगी)। (2) पथेलिक एन्हाईड्राइड के निर्माण के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं को इस मद के आयात की अनुमति बिना किसी अंकित मूल्य प्रतिबंधता के दी जायेगी।"
361	खंड 5, परिशिष्ट 29, मद सं० 14—साल्वेंट नेप्था (हल्का और भारी)	इस मद के आयात की अनुमति लाइसेंस के अंकित मूल्य के $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक दी जायेगी।

एम० एम० सेन,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972